आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(1100 क्वार्टर्स, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016)

क्रमांक/--1486---/अका./स्था./2024 भोपाल, दिनांक 14/03/2024

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिए

वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल. दिनांक 14/02/2024 एवं दिनांक 04/01/2024 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आर.सी.वी.पी.नरोन्हा. प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी. मध्यप्रदेश. भोपाल में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सहायक ग्रेड-3 के (नियमित) एक पद की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु इच्छुक अर्हताधारी आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 17/05/2024 को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह से अकादमी बोर्ड रूम कक्ष क्रमांक जी-30 में आयोजित किया गया है । आवेदन हेतु पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता. आयु-सीमा एवं पद का वेतनमान. आवेदन का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक जानकारी अकादमी की वेबसाइट **www.academy.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

प्रशासन अकादमी में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्य हेतु इच्छुक अर्हताधारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक योग्यता. जन्मतिथि एवं विकलांगता एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक 08/04/2024 को समय 05:30 बजे तक प्रभारी अधिकारी (स्थापना). आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी. 1100 क्वार्टर. अरेरा कॉलोनी. मध्यप्रदेश. भोपाल 462016 के नाम से डाक द्वारा या कार्यालयीन समय में प्रशासन अकादमी मुख्य भवन कार्यालय स्थित आवक शाखा में स्वीकार किये जावेंगे । निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए प्रशासन अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

संचालक द्वारा अनुमोदित ।

प्रभारी अधिकारी (स्थापना)

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(1100 क्वार्टर्स, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016)

क्रमांक/--1486--/अका./स्था./2024 भोपाल, दिनांक 14/03/2024

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिए

वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 14/02/2024 एवं दिनांक 04/01/2024 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सहायक ग्रेड-3 के (नियमित) एक पद की पूर्ति अनारक्षित (UR) के उम्मीदवार से वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है । आवेदन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र विहित प्रारूप में दिनांक 08/04/2024 को कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक प्रभारी अधिकारी (स्थापना), आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, 1100 क्वार्टर्स, अरेरा कॉलोनी, मध्यप्रदेश, भोपाल-462016 के नाम से डाक द्वारा प्रेषित करें या कार्यालयीन समय में प्रशासन अकादमी मुख्य भवन कार्यालय स्थित आवक शाखा में स्वीकार किये जावेंगे। डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए प्रशासन अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, रिक्त पद का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षिणक योग्यता, अन्य अर्हतायें एवं वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिये नियत दिनांक एवं समय की जानकारी निम्नानुसार है:-

श्रेणी/पदनाम	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पद		शैक्षणिक अर्हता	वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु नियत दिनांक एवं समय
तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3	लेवल-4 19500-62000	दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित (अनारक्षित वर्ग)	01	1/मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 2/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3/कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं हिन्दी टंकण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	दिनांक 17/05/2024 को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह से

अन्य शर्तें :-

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. दिनांक 01/03/2024 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होगी । अधिकतम आयु-सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार होगी ।
4. नि:शक्तता का डिजीटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा ।
5. आवेदक को विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु-सीमा (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया होगा उसे उक्त पद हेतु अयोग्य माना जायेगा ।
6. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तक ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
7. आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंयीजन होना अनिवार्य है ।
8. शासकीय संस्था/निगम/मण्डल में कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
9. आवेदक को साक्षात्कार के समय दस्तावेज /प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना/दिखाना अनिवार्य है।
10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी ।
11. आवेदक की ई-मेल आई.डी. ---------------- मोबाइल नम्बर ------------ देना अनिवार्य है ।
12. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण/असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उसी आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।
13. आवेदक का चयन वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जावेगा, जिसकी सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पते पर एवं ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी ।
14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24/11/2012 अनुसार चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जायेगा, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी एवं प्रतीक्षा सूची अनुसार वरीयता क्रम में आने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी ।
15. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शर्ते/नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न की जाकर आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी. मध्यप्रदेश. भोपाल की वेबसाइट www.academy.mp.gov.in पर अपलोड की जायेगी ।
16. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार संचालक, आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी. मध्यप्रदेश, भोपाल के पास सुरक्षित होंगे ।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित ।</u>

प्रभारी अधिकारी (स्थापना)
आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल